बिहार सरकार

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/आरोप-60/2019 5033 /पटना,दिनांकः- 16.7.25

<u>अधिसूचना</u>

लघु सिंचाई प्रमंडल, झाझा, जमुई अंतर्गत वर्ष-2009-10 से 2011-12 तक स्वीकृत कुल-89 अदद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजनाओं की जाँच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा करायी गयी ।

नमूना जाँच के आधार पर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई उड़नदस्ता प्रमंडल, पटना के पत्रांक-24 दिनांक-28.01.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में योजनाओं के प्राक्कलन तैयार करने से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं भुगतान में अनियमितता पायी गयी ।

उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के पश्चात् श्री जागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को भी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं भुगतान में अनियमितता हेतु जिम्मेवार पाया गया ।

विभागीय पत्रांक-7788 दिनांक-30.10.2019 द्वारा श्री जागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन तकनीकी सलाहकार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र निर्गत करते हुए उनसे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(4) के तहत बचाव के लिखित अभिकथन की मांग की गयी ।

श्री जागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा के पत्रांक-1350 दिनांक-13.11.2019 द्वारा समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन में आरोपों से इनकार किया गया ।

सरकार द्वारा श्री प्रसाद के लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1098 दिनांक-28.02.2020 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया ।

जाँच आयुक्त-सह-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-82/गो0 दिनांक-31.03.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया । जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा श्री प्रसाद से संबंधित चार योजनाओं में समेकित अधिकायी व्यय की कुल राशि-15,31,132/-रूपये का अनियमित भुगतान पाया गया । तदुपरांत विभागीय पत्रांक-1918 दिनांक-19.04.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच अधिगम की प्रति एवं उपर्युक्त परिगणित राशि अंकित करते हुये श्री प्रसाद से नियमानुसार अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

इस बीच श्री प्रसाद के दिनांक-31.01.2023 को वार्धक्य सेवानिवृत हो जाने के कारण इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0-90-सह-पठित ज्ञापांक-2152 दिनांक-31.03.2023 द्वारा नियमानुसार बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया ।

श्री प्रसाद से प्राप्त अभ्यावेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत तथा बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-05/प्रो0-42-01/2024-2645 दिनांक-08.10.2024 के माध्यम से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-5288 दिनांक-24.10.2024 द्वारा 05(पाँच) वर्ष के लिए 10(दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती का दंड अधिरोपित किया गया।

कृ0पृ0उ0

उक्त विभागीय दंड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक-27.11.2024 समर्पित किया गया ।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की सम्यक् समीक्षोपरांत श्री जागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, झाझा, जमुई के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-5288 दिनांक-24.10.2024 द्वारा संसूचित बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत 05(पाँच) वर्ष के लिए 10(दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती के दंड को पुनरीक्षित करते हुए **'10(दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती 02(दो) वर्ष के लिए'** निर्णय लिया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/7/25

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः- 5033 /पटना, दिनांकः- 16.7.25

स्पीड पोस्ट/ई-मेल प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ श्री जागेश्वर प्रसाद, पत्राचार का पता-फ्लैट नं0-201 एफ ब्लॉक, जगमानो श्री गार्डेन अपार्टमेंट, वेदनगर, रूकनपुरा, पटना,पिनकोड नं0-800014, मो0-9801295789, ई-मेल-jpdjhajha@gmail.com को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/7/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- 5033 **/पटना, दिनांकः-** 16.7.25

स्पीड पोस्ट/ई-मेल प्रतिलिपिः- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/भागलपुर एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/7/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- 5033 /पटना, दिनांकः- 16.7.25

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/प्रभारी निगरानी स्वच्छता पटल/प्रभारी चारित्री पटल/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/7/25

सरकार के अपर सचिव

D:\Amit Drive E\new folder\adhisuchna.docx